ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-4* Issue-5* June- 2019
Innovation The Research Concept

# अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता : राजनीति के सन्दर्भ में

**प्रतिभा बाजपेयी**
प्रवक्ता,
हिन्दी विभाग,
चित्रा डिग्री कालेज,
कानपुर

**प्रस्तावना**

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बहुत पहले ही मान लिया गया था कि जनता द्वारा बनाये गये संविधान मे कुछ अधिकारों की गारंटी की घोषणा होनी चाहिये। इस प्रकार दिसम्बर 1927 को मद्रास अधिवेशन में जब पहली बार स्वराज्य की मांग की गई, तब कार्य समिति को अधिकार दिया गया कि वह भारत के लिये एक संविधान तैयार करे। जिसका आधार अधिकारो की घोषणा हो, जब 1949 में संविधान को अंतिम रूप देकर आंगीकार किया गया। तब उसमें अनेक मूल अधिकारों की घोषणा की गई, संविधान के भाग तीन में कुछ मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है। संविधान मे 7 मौलिक अधिकार प्रदान किये गये थे। परन्तु सन 1979 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इस प्रकार भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुये।

1. समानता का अधिकार
2. स्वतन्त्रता का अधिकार
3. शोषण के विरूद्व अधिकार
4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार
5. संस्कृति एंव शिक्षा सम्बन्धी अधिकार
6. संवैधानिक उपचारो का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 19 (1क) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन, एंव अन्य व्यक्तियों के विचारो का प्रचार करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। इसमें प्रेस की स्वतन्त्रता भी निहित है अर्थात समाचार पत्रों के माध्यम से विचारो का प्रकाशन इस अधिकार में सम्मिलित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्तमान शताब्दी की आवश्यकताओं मे से एक है और जिस समाज में अभिव्यक्ति और संचार माध्यमों की स्वतन्त्रता न हो तो वह तानाशाही समाज होता है। 1993 में भारत सरकार न इन्ही सब अधिकारो की रक्षा के लिये मानवाधिकार आयेाग का गठन किया।

संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार और मानवाधिकार घोषणा पत्र में स्वीकार किये गये अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार मे परिलक्षित एकरूपता है मानवाधिकार घोषणा पत्र प्रत्येक व्यक्ति को बिना हस्तक्षेप के विचार रखने का अधिकार देता है । इसमे लिखित प्रकाशित या अन्य किसी रूचिकर माध्यम के द्वारा सभी प्रकार की सूचनायें जानने एंव उनके आदान प्रदान की स्वतन्त्रता का अधिकार सम्मिलित है।

अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार रखने (प्रेस या अन्य माध्यम) का पूर्ण अधिकार नही था चूंकि समाचार पत्रों का प्रकाशन उसी समय से प्रारम्भ हो चुका था। परन्तु इनके माध्यम से सरकार विरोधी गतिविधियों को प्रकाशित नही किया जा सकता था। संविधान के रूप में हमारी इस स्वतन्त्रता को प्रतिबंधित करने वाली कुछ धारायें अवमानना, सदाचार, तथा नैतिकता का उल्लंघन एंव राज्य की सुरक्षा तथा विद्रोह से सम्बन्धित थी। लेकिन 1951 मे किये गये प्रथम संविधान संशोधन तथा 1963 में हुये 16 वें संविधान संशोधन के जरिये बाशिंदो का दायरा बढ़ा दिया गया। अब अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का उपयोग करते समय भारत की सार्वभौमिक तथा अखंण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यो के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार तथा नैतिकता, न्यायालय अपमान तथा किसी की मानहानि के प्रति सचेत रहना होगा।

कुछ समाचार पत्रों में नागरिक हितो की रक्षा सम्बन्धी विचारों का प्रकाशन होता था उन्हें चोरी–छुपे प्रकाशन करना होता था। ऐसी स्थितियों मे भारतीय संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के माध्यम से नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्रदान किया कि जिस विषय पर चाहे अपने विचार मौखिक, लिखित या प्रकाशित माध्यमों से व्यक्त कर सकते हैं।

## निष्कर्ष

संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में संसद का तृतीय स्तम्भ के रूप मे प्रेस को स्तमभित करने मे वाक स्वतन्त्रता के अधिकार ने विशेष मजबूती प्रदान की है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *भारतीय राजनीतिक चिन्तक, जीवन मेहता*
2. *तुलनात्मक शासन एंव राजनीति, डा0 जे.सी. जौहरी*
3. *राजनीतिक विज्ञान के मूल सिद्वान्त, डा0 अजय सिंह/डा0 विजय प्रताप मल्ल*